

Sandeep Jain
Advocate

Residence & Office
583-A, Talvandi,
Kota-324005
Ph. (0744) 2407214
Mob. 98291-80432
Date: 26.04.2018

TITLE REPORT/NON ENCUMBRANCE CERTIFICATE

Sub: - Inspection cum search report of property situated at Mukhyamantri Jan Awas Yojna Khasara No. 363, 363/2 & 367 Gram Rajnagar Kota belonging to M/s Mukundra Infra Project Private Limited

As desired by you, I have inspected the record in index of book no. 1 in the office of Sub registrar, Kota for the year 2018. I have also perused the documents in the possession of the party.

Plot at Ekal Patta Mukhyamantri Jan Awas Yojna Khasara No. 363, 363/2 & 367 Gram Rajnagar Kota measuring 5173.11 sq mt was allotted by UIT Kota in favour of M/s Mukundra Infra Project Private Limited. Allotment Letter was issued in favour of M/s Mukundra Infra Project Private Limited on dated 28.03.2018. Lease Agreement was executed in favour of M/s Mukundra Infra Project Private Limited on dated 28.03.2018. Lease Agreement was registered in the office of Sub Registrar Kota on dated 06.04.2018 vide book no. 1 volume no. 158 serial no. 201803457100480 at page no. 105.

After execution & registration of the Lease Agreement M/s Mukundra Infra Project Private Limited become the lessee of the said property. They get perfect, valid and marketable title in the said property. Lease Agreement executed in their favour is valid & perfect in the eyes of Law. Being the lessee of the said property M/s Mukundra Infra Project Private Limited can sale, transfer or mortgage this property to anybody.

....2



...2...

From my inspection I find that M/s Mukundra Infra Project Private Limited has not sold transferred this property to anybody till now. This property is free from all encumbrances.

This certificate is issued by me. Receipt of inspection fee is also enclosed with this certificate.



(Sandeep Jain)

North: Khasra No. 365

South: Road

East: Khasra No. 363/1

West: Khasra No. 363 & 366

Area 5173.11 sq mt

Documents Scrutinized:-

1. Allotment letter no. 1559 dated 28.03.2018 issued by UIT Kota in favour of M/s Mukundra Infra Project Private Limited
2. Lease Deposit Certificate no 1559 dated 28.03.2018 issued by UIT Kota in favour of M/s Mukundra Infra Project Private Limited
3. Lease Agreement executed by UIT Kota in favour of M/s Mukundra Infra Project Private Limited dated 28.03.2018 regd on dated 06.04.2018
4. Memorandum & Article of Association of M/s Mukundra Infra Project Private Limited





Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID RJ0000000000000
S R Location Mandana
Receipt No RJ1126361804922
Name Of Seller MUKUNDRA FUTURE PROJECTS PVT LTD
Name Of Buyer SANDEEP JAIN ADV
Type of Document 2018 S
ACC Reference SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/KOTA II

Receipt Date 26-APR-2018 13:35

Paid Fees			
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 0	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 50
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50	Service Charges	₹ 10
Grand Total	₹ 60		
(Rupees Sixty Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



नगर विकास न्यास, कोटा

Land-al.

8

भू-आवंटन पत्र

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन

क्रमांक : 1559

दिनांक: 28/3/18

- (1) भूखण्ड धारी का नाम : सुकुन्दरा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. एवं डेवेलपर्स
- (2) पति/पिता का नाम : श्री अनिमेष जैन 5/6 प्रकाश चन्द जैन
- (3) पता : A-55 तलवण्डी, कोटा
- (4) भूखण्ड संख्या : एकल पट्टा मुख्यमंत्री जन आवास योजना क्षेत्रफल 5173.11 वर्गमीटर
- (5) योजना का नाम : एकल पट्टा मुख्यमंत्री जन आवास योजना
- (6) सहकारी समिति का नाम : (आवासीय प्रयोजनार्थ) राजनगर
- (7) जोन संख्या :

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (3) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 10/07/99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होगी:-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. यह भूखण्ड पर नियमानुसार नगरीय कर देय होगा जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5% 50% प्रति वर्ग गज है नगरीय कर की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. यदि भूखण्ड 500 वर्ग मी. क्षेत्र तक का है, तो उस पर निर्माण इस आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है। जिसमें साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोड़ने होंगे एवं न्यास के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड के सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एचडीएफसी अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान न्यास द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों, राज्य सरकार/न्यास के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है। अतः कब्जा सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास के नियमों के अनुसार न्यास से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड के आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5 (3) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 10/07/99 द्वारा भवन वाणिज्यिक विनियमों के प्रवाधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन आयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीज डीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :- सलग्न साइट प्लान अनुसार A से G तक
भूखण्ड कि लम्बाई x चौड़ाई 5173.11 वर्गमीटर

सामने () पीछे ()
साइड () वर्ग गज

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई

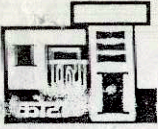
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-

प्रतिलिपि : लेखा शाखा नगर विकास न्यास, कोटा को सूचनार्थ एवं नगरीय कर रजिस्टर तुरंत तैयार करने हेतु।

प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी)
नगर विकास न्यास, कोटा
दिनांक: 28/3/18

प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी)
नगर विकास न्यास, कोटा
नगर विकास न्यास कोटा



नगर विकास न्यास, कोटा

Lancetti

प्रमाण पत्र

क्रमांक :-

1559

दिनांक 28/3/18

1. भूस्वामी का नाम : सुकुन्दरा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. जयपुर
 2. पिता / पति का नाम : श्री अनिमेष जैन & ए. प्रकाश चन्द्र जैन
 3. भूखण्ड संख्या : एकल पट्टा मुख्यमंत्री जन आवास योजना
 4. योजना का नाम / ग्राम का नाम : एकल पट्टा मुख्यमंत्री जन आवास योजना
(आवासीय प्रयोजनार्थ) (राजनगर)
 5. क्षेत्रफल : 51.73.11 वर्गमीटर
 6. वार्षिक नगरीय कर की राशि :
 - 7 एक बारीय नगरीय कर की राशि : 7070.93/-
(कालम 6 से 10 गुणा राशि)
- उपरोक्त राशि अक्षरे रुपये सात लाख सात हजार तिरानवे रुपये मात्र
- रसीद/चालान नम्बर 9155 दिनांक 28/3/18 द्वारा जमा कराये गये।

अतः भू आवंटन की शर्त संख्या 2 (ब) में अंकित अवधि को अवशेष अवधि के लिए

..... नगरीय कर के भुगतान से उक्त भूखण्ड को मुक्त किया जाता है।

उपसचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, कोटा
नगर विकास न्यास कोटा



परिशिष्ट



नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) (नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत) भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक : 1559

दिनांक :

28/3/18

यह विलेख आज वर्ष 2018 के माह 03 के 28 वे दिन नगर सुधार न्यास, कोटा

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुकुमार कृष्ण जेठवाला ए. लि. एवं अन्ये डायरेक्टर श्री अनिमेष जैन ए/० उकाश एन. जैन मुन्न श्री जाति

निवासी A-55 तलवण्डी, कोटा (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष

तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक प्रतिनिधि, ओर मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, ओर इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा

निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना एकल पट्टा मुरव्यमजरी जन

आवास योजना राजस्व ग्राम राजनगर के खसरा संख्या 363, 363/2 व 364

क्षेत्रफल 0.54 है, में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है ओर जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग ओर इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये सात लाख सात हजार तिरानवे रुपये अंके 7070931 मात्र राशि अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकती है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्यंत और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि : - पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम 26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय के साथ

उप पंजीबक, नन्दाना

जिला कोटा (राज.)

रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

- 8 उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा। अनुमोदित लेआउट प्लान में अंकित शर्तों की पालना की जावे।
- 9 यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन के कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
- 10 इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/ जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/ सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी. एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

:: परिशिष्ट ::

कस्बे का नाम
 राजस्व ग्राम राजनगर
 खसरा नम्बर 363, 363/2 व 367
 योजना का नाम एकल पट्टा मुख्यमंत्री जन आवास योजना
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/ मीटर 5173.11 वर्गमीटर

खसरा नं० 363/1 खसरा नं०
 पूर्व डिसेन्ट स्कूल पश्चिम 368 व 366 भूखण्ड की संख्या यदि कोई
 एकल पट्टा मुख्यमंत्री खसरा नं०
 हो अनुराधावासा सीमा उत्तर 365 दक्षिण 305
 योजना
 मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूपमें इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20..... के माह के वें दिन
 श्री ने निम्न
 की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:

साक्षी:-

- 1 नाम : श्री. शमी
 पुत्र : श्री. शमरत शमी
 व्यवसाय : उत्तरी पट्टा
 निवास स्थान : कोटा
- 2 नाम :
 पुत्र : श्री
 व्यवसाय :
 निवास स्थान :

आज सन् 20..... के माह के वें दिन को
 निम्नलिखित में उक्त श्री लीजधारक द्वारा
 कार्यालय में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी:-

- 1 नाम : Rohit Khandehwal
 पुत्र : Brij Mohan Khandehwal
 व्यवसाय :
 निवास स्थान : D-229 Shriharipuram
- 2 नाम : Ram Prasad Meena
 पुत्र : Nand Lal
 व्यवसाय :
 निवास स्थान : 207, Arun Ahuja Nagar Ex. Rungberri Kofa

प्राधिकृत अधिकारी पक्ष
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 नगर विकास न्यास कोटा

साक्षी

साक्षी

लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी

साक्षी

SITE PLAN OF RESI. LAY OUT PLAN OF
"MUKHAYA MANTRI JAN AWAS YOJNA "

IN KHASRA NO.: 363, 363, 367

VILLAGE : RAJNAGAR , TEH. LADPURA , DIST. KOTA (RAJ.)

APPLICANT NAME : MUKUNDRA INFRA PROJECTS PVT.LTD.

DIRECTOR:-ANIMESH JAIN - KOTA

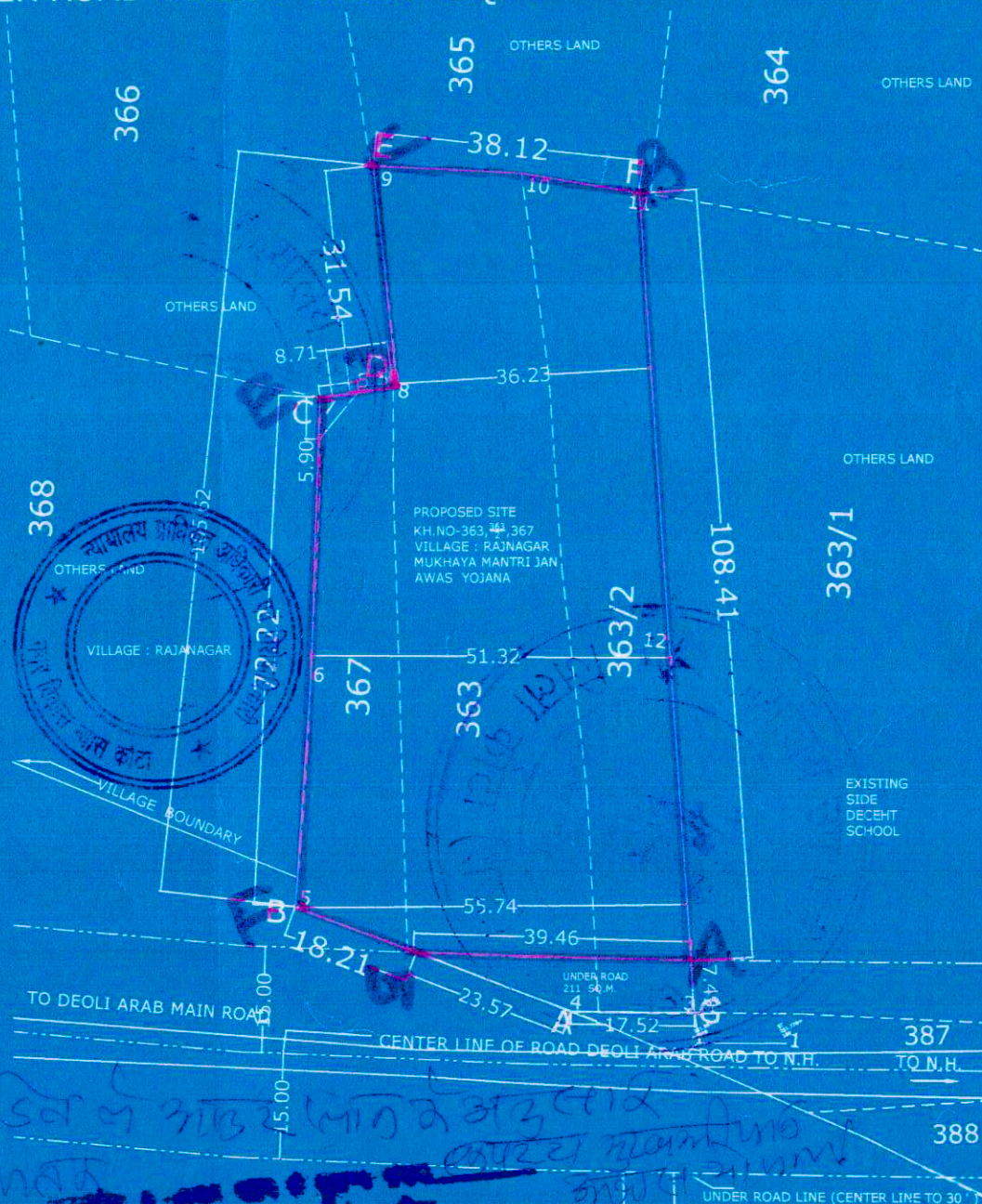
SCHEME AREA :- 5393.22 SQ.M.

RESIDENTIAL AREA :- 5173.11SQ.M.

UNDER ROAD AREA :- 220.11 SQ.M.



SCALE:- 1CM.=10 M.



PROPOSED
AREA SHOWN



B.T. ROAD



SING/OWNER

Registration Endorsement

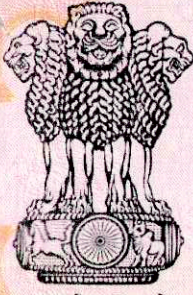
आज दिनांक 06/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 158 में
पृष्ठ संख्या 105 क्रम संख्या 201803457100480 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 226 के
पृष्ठ संख्या 47 से 51 पर चस्पा किया गया।

201801457000535

उप पंजीयक, MANDANA

Lesae Deed issued under section 90A of RLR Act in favour of khatedar himself.(in favour of male)



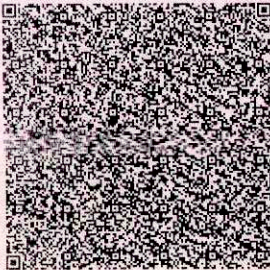


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	: IN-RJ26471416594710Q
Certificate Issued Date	: 06-Apr-2018 04:18 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ rj3006104/ KOTA/ RJ-KT
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJ300610444803515972368Q
Purchased by	: MUKUNDRA INFRA PROJECTS PVT LTD DIRECTOR ANIMESH J
Description of Document	: Article 33(vii) Lease deed u/s 90A of RLR Act in favor of Khatedar (Male)
Property Description	: A-55, TALWANDI, KOTA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: UIT KOTA
Second Party	: MUKUNDRA INFRA PROJECTS PVT LTD DIRECTOR ANIMESH J
Stamp Duty Paid By	: MUKUNDRA INFRA PROJECTS PVT LTD DIRECTOR ANIMESH J
Stamp Duty Payable (Rs.)	: 35,356 (Thirty Five Thousand Three Hundred And Fifty Five only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	: 3,536 (Three Thousand Five Hundred And Thirty Six only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	: 3,536 (Three Thousand Five Hundred And Thirty Six only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 42,427 (Forty Two Thousand Four Hundred And Twenty Seven only)



रूप पंजीयक, मुण्डाना
जिला कोटा (राज.)

TQ 0000676119

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : MANDANA

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 06-04-2018 5:50 PM

Fee Receipt No	: 201802457000546	Receipt Date	: 06/04/2018
Name	: ANIMESH JAIN TH- DIRECTOR MUKUNDRA INFRA PROJECTS PVT LTD.	Document S. No.	: 201801457000535
Address	: A-55, TALWANDI, KOTA, KOTA		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 707093	Evaluated Value	: ₹ 0

Ord-Registration Fee	: ₹ 7071	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 7072	Stamp Duty	: ₹ 35355
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
Cash Amount Received			: ₹ 0
Other than Cash			: ₹ 49798
Total Amount			: ₹ 49798

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt/RJ1606201804461 ₹ 7371 # eStamp IN-RJ26471416594710Q ₹ 42427

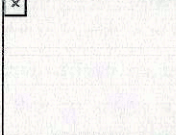
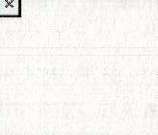
Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री UIT KOTA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SEC UIT KOTA, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री ANIMESH JAIN TH. DIRECTOR MUKUNDRA INFRA PROJECTS PVT LTD, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PRAKASH CHAND JAIN, व्यवसाय Business जाति MAHAJAN House No.:A-55, Colony: TALWANDI, Area: TALWANDI, City: KOTA, Pin code: 324005, District: KOTA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 29 Signature :

ने लेख्यपत्र Lesae Deed issued under section 90A of RLR Act in favour of khatedar himself.(in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 707093/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 707093/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMPRASAD MEENA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAINALAL MEENA जाति MEENA Age: 43 Add: House No.:207, Colony: RANGBARI, Area: BHEEL BASTI, City: KOTA, Pin code: 324005, District: KOTA, State: RAJASTHAN			Signature R.P. Meena
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ROHIT KHANDELWAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BRIJMOHAN KHANDELWAL जाति MAHAJAN Age: 25 Add: House No.:D-229, Colony: SHREE NATHPURAM, Area: SHREE NATHPURAM, City: KOTA, Pin code: 324005, District: KOTA, State: RAJASTHAN			Signature Rohit Khanelwal

201801457000535

उप पंजीयक, MANDANA

Lesae Deed issued under section 90A of RLR Act in favour of khatedar himself.(in favour of male)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 707093 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 35355 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 7071, सरचार्ज राशि 7072 कुल रु 49498 रसीद संख्या 201802457000546 दिनांक 06-04-2018 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 35355 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801457000535

उप पंजीयक, MANDANA

Lesae Deed issued under section 90A of RLR Act in favour of khatedar himself.(in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 06/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 158 में
पृष्ठ संख्या 105 क्रम संख्या 201803457100480 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 226 के
पृष्ठ संख्या 47 से 51 पर चस्पा किया गया।

201801457000535

उप पंजीयक, MANDANA

Lesae Deed issued under section 90A of RLR Act in favour of khatedar himself.(in favour of male)

Presentation Endorsement

आज दिनांक 06 माह 04 सन् 2018 को 04:20 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री ANIMESH JAIN TH. DIRECTOR MUKUNDRA INFRA
PROJECTS PVT LTD पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PRAKASH CHAND JAIN
उम्र 29 वर्ष, जाति MAHAJAN, व्यवसाय Business
निवासी House No.:A-55, Colony: TALWANDI, Area: TALWANDI, City:
KOTA, Pin code: 324005, District: KOTA, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801457000535

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
MANDANA

Lesae Deed issued under section 90A of RLR Act in favour of khatedar himself.(in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802457000546
दिनांक	06-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	7071
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	35355
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	7072
कुल योग	49798

201801457000535

उप पंजीयक, MANDANA

Lesae Deed issued under section 90A of RLR Act in favour of khatedar himself.(in favour of male)

